

व्यापार कर विभाग उत्तर प्रदेश



[टी0डी0एस0]

टी0डी0एस0

1. प्रश्न : टी0डी0एस0 का शाब्दिक अर्थ क्या है ?
उ0 : टी0डी0एस0 का अर्थ है टैक्स डिडक्शन ऐट सोर्स (Tax Deduction at Source)
2. प्रश्न : व्यापार कर या वैट प्रणाली में इसका क्या अभिप्राय है ?
उ0 : कर वसूली आसानी से करने के उद्देश्य से राज्य सरकार विशेष प्रकार के सम्ब्यहारों पर या विशेष प्रकार के व्यापारियों के द्वारा की गई बिक्री की धनराशि क्रेता द्वारा भुगतान करते समय कर के बराबर या एक निश्चित दर से धनराशि काट करके शेष भुगतान किया जाता है । कटौती से प्राप्त धनराशि बिक्रेता की तरफ से जमा किया जाता है । यह धनराशि बिक्रेता व्यापारी के करदायित्व में समायोजित होता है ।
3. प्रश्न : यदि करदायित्व कम होता है तो क्या टी0डी0एस0 वापस किया जाता है ?
उ0 : हाँ ।
4. प्रश्न : किस प्रकार के व्यापारियों या संस्थाओं द्वारा टी0डी0एस0 काटा जायेगा ?
उ0 : जिन संस्थाओं / व्यापारियों को टी0डी0एस0 काटने के लिए विज्ञप्ति जारी की जाएगी उन्हीं के द्वारा टी0डी0एस0 काटा जाता है ।
5. प्रश्न : विज्ञप्ति जारी करने पर नामित संस्थाओं द्वारा टी0डी0एस0 काटना अनिवार्य होगा ?
उ0 : हाँ ।
6. प्रश्न : यदि नहीं काटते हैं तो क्या कोई अर्थदण्ड आरोपित होगा ?
उ0 : हाँ ।

7. प्रश्न : कितना अर्थदण्ड लगेगा ?
उ0 : टी0डी0एस0 की धनराशि का दो गुना धनराशि के बराबर।
8. प्रश्न : यदि टी0डी0एस0 धनराशि की कटौती करके जमा नहीं करता है तो क्या अर्थदण्ड की कार्यवाही होगी ?
उ0 : हों ।
9. प्रश्न : कितना दण्ड लगेगा ?
उ0 : टी0डी0एस0 की धनराशि का दो गुना ।
10. प्रश्न : टी0डी0एस0 की धनराशि विलम्ब से जमा किया जाता है तो ब्याज भी देना होगा?
उ0 : हों ।
11. प्रश्न : ब्याज की दर क्या होगी ?
उ0 : 15 प्रति0 प्रतिवर्ष या 1.25 प्रति0 प्रतिमाह ।
12. प्रश्न : ब्याज कब से कब तक देय होगा ?
उ0 : टी0डी0एस0 जिस महीने में काटा जायेगा उसके अगले महीने के 20 तारीख तक जमा करना होता है । ब्याज की गणना 20 तारीख के बाद से जमा करने की तिथि तक की जायेगी ।
13. प्रश्न : यदि टी0डी0एस0 की धनराशि दण्ड व ब्याज, फिर भी नहीं जमा होता है तो विभाग किस प्रकार वसूली करेगा ?
उ0 : यदि टी0डी0एस0, दण्ड, ब्याज नहीं जमा किया जाता है तो उसकी वसूली कुर्की (वसूली प्रमाण पत्र) काट करके भूराजस्व के बकाया की भाँति वसूली की जायेगी।
14. प्रश्न : उपरोक्त टी0डी0एस0, दण्ड, व ब्याज की वसूली किसकी चल / अचल सम्पत्ति से की जायेगी ?
उ0 : टी0डी0एस0 काटने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से वसूली जायेगी । उसके asset पर उपरोक्त धनराशि का प्रभार (चार्ज) होगा ।

15. प्रश्न : टी0डी0एस0 काटने वालों के लिए क्या पंजीयन कराना भी आवश्यक होगा ?
उ0 : हाँ, व्यापार कर / वाणिज्य कर विभाग से टी0डी0एस0 नम्बर लेना होगा ।
16. प्रश्न : यदि टी0डी0एस0 नम्बर न लिया जाये तो क्या अर्थदण्ड की कार्यवाही होगी ?
उ0 : हाँ ।
17. प्रश्न : दण्ड कितना लगेगा और किस धारा में ?
उ0 : टी0डी0एस0 की धनराशि का दो गुना तक व वैट अधिनियम की धारा-35(4) के अन्तर्गत अर्थदण्ड की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी ।
18. प्रश्न : क्या दण्ड automatic या सूनवाई के बाद औचित्यपूर्ण कारण होने पर लगेगा ?
उ0 : दण्ड आटोमेटिक (automatic) नहीं है । दण्ड लगाने के पहले सुनवाई का युक्त संगत अवसर दिया जायेगा तथा अधिकतम धनराशि दण्ड की धारा-34 में टी0डी0एस0 काटने वाली धनराशि का दो गुना तक हो सकती है ।
19. प्रश्न : टी0डी0एस0 नम्बर लेने के लिए क्या कोई फार्म निर्धारित है ?
उ0 : हाँ, फार्म संख्या-XXIX
20. प्रश्न : टी0डी0एस0 नम्बर लेने के लिए किसको प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा ?
उ0 : रजिस्ट्रिंग (registering authority) को ।
21. प्रश्न : कौन व्यक्ति प्रार्थना पत्र दे सकता है अर्थात् किसके हस्ताक्षर से टी0डी0एस0 नम्बर लेने के लिए प्रार्थना पत्र संख्या-XXIX दिया जा सकता है ?

- उ० : प्रोपराईटर, सभी पार्टनरों द्वारा अधिकृत पार्टनर, एच.यू.एफ. का कर्ता, कम्पनी के मामले में बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के द्वारा अधिकृत डायरेक्टर, सोसाईटी / क्लब के मामले में अध्यक्ष / सचिव, राज्य सरकार / केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष । यदि व्यापारी अव्ययस्क है तो संरक्षक (गार्जियन), यदि व्यापारी अक्षम व्यक्ति है तो पावर आफ अटार्नी, ट्रस्ट के मामले में ट्रस्टी ।
22. प्रश्न : टी०डी०एस० नम्बर प्रमाण पत्र किस फार्म में दिया जायेगा?
- उ० : XXX
23. प्रश्न : क्या टी०डी०एस० काटने वाले व्यापारी काटी गयी धनराशि का कोई प्रमाण पत्र देंगे?
- उ० : हाँ ।
24. प्रश्न : कौन सा प्रमाण पत्र ?
- उ० : फार्म-XXXI
25. प्रश्न : फार्म-XXXI वार्षिक होगा या मासिक ?
- उ० : मासिक
26. प्रश्न : फार्म-XXXI कहा मिलेगा ?
- उ० : फार्म-XXXI व्यापार कर कार्यालय से मिलेगा ।
27. प्रश्न : क्या फार्म-XXXI लेने के लिए कोई Fees देनी पड़ेगी ?
- उ० : हाँ
28. प्रश्न : कितनी फीस देनी पड़ेगी ?
- उ० : 5 रुपये प्रति फार्म
29. प्रश्न : फार्म-XXXI लेने के बाद उसकी सुरक्षा आदि की जिम्मेदारी किसकी होगी ?

- उ० : टी०डी०एस० काटने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी जिसने वाणिज्य कर कार्यालय से फार्म प्राप्त किया है ।
30. प्रश्न : यदि फार्म-XXXI खो गया तो क्या करना होगा ?
- उ० : फार्म-XXXI खो जाने पर इसकी तुरन्त सूचना कर निर्धारक अधिकारी को देना होगा तथा इसकी पब्लिक नोटिस देना होगा तथा उस फार्म से कोई राजस्व की क्षति न हो ऐसे समस्त उपाय करना होगा ।
31. प्रश्न : खो जाने के बाद प्राप्तकर्ता कोई सूचना दे और राजस्व की क्षति हो जाये तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा?
- उ० : प्राप्तकर्ता व्यापारी / संस्था / व्यक्ति राजस्व हानि के लिए जिम्मेदार होगा ।
32. प्रश्न : यदि भरकर फार्म-XXXI बिक्रेता को दे दिया जाये फिर उससे खो जाये या नष्ट हो जाये उसका लाभ उसे किस प्रकार मिलेगा ?
- उ० : डुबलीकेट फार्म-XXXI लेना होगा जिस पर प्रमाण पत्र अंकित रहेगा कि किस फार्म का डुबलीकेट है ।
33. प्रश्न : आम जनता को किस प्रकार मालूम होगा कि कोई फार्म-XXXI खो गया है ?
- उ० : खोने की सूचना प्राप्त होने पर कमिश्नर गजट द्वारा सर्वसाधारण को सूचना जारी करेंगे ।
34. प्रश्न : क्या कमिश्नर किसी फार्म को अवैध अप्रचलित घोषित कर सकता है ?
- उ० : हाँ
35. प्रश्न : कमिश्नर के द्वारा कोई फार्म, रंग, डिजाईन आदि को अवैध घोषित करने पर व्यापारी को क्या करना होगा ?
- उ० : अवैध घोषित सभी फार्म को जिस कार्यालय से प्राप्त किया गया है वहाँ वापस करना पड़ेगा ।

36. प्रश्न : फार्म-XXXI के प्रयोग करने का कोई रजिस्टर रखना पड़ेगा ?
उ0 : हाँ
37. प्रश्न : टी0डी0एस0 काटने वाले व्यापारी / संस्था को क्या कोई नक्शा दाखिल करना होगा ?
उ0 : हाँ स्टेटमेंट देना होगा ।
38. प्रश्न : टी0डी0एस0 का स्टेटमेंट का क्या कोई प्रारूप या फार्म निर्धारित है ?
उ0 : हाँ फार्म-XXV
39. प्रश्न : इस फार्म-XXV में क्या क्या सूचना देनी होगी ?
उ0 : 1. टी0डी0एस0 नम्बर या टिन नम्बर, 2. टैक्सपीरियड, जिससे टी0डी0एस0 काटा गया है 3. उसका नाम / पता / 4. टिन नम्बर, 5. काट्टैक्ट नम्बर, 6. बिल नम्बर व दिनांक, 7. माल का विवरण, 8. सेल / टैक्स, 9. इनवाईस नम्बर / दिनांक, 10. टी0डी0एस0 की धनराशि, 11. टी0डी0एस0 प्रमाण पत्र-XXXI की संख्या, 12. टी0डी0एस0 जमा करने का विवरण, चालान नम्बर, दिनांक, 13. बैंक / ट्रेजरी का नाम, 14. धनराशि रुपये में, का विवरण देना होगा ।
40. प्रश्न : नक्शा / स्टेटमेंट कब तक देना होगा ?
उ0 : नक्शा / स्टेटमेंट तिमाही अर्थात जून 30, सितम्बर 30, दिसम्बर 31, मार्च 31 को समाप्त होने वाले तिमाही के समाप्त होने के 20 दिन में कर निर्धारण अधिकारी को देना होगा ।
42. प्रश्न : क्या कोई वार्षिक स्टेटमेंट भी देना होगा ?
उ0 : हाँ : वर्ष समाप्ति के अगले जून 30 तक देना होगा ।
43. प्रश्न : क्या यह अवधि बढ़ाई जा सकती है ?

उ० : हॉ : प्रार्थना पत्र पर समुचित कारण होने पर 60 दिन तक बढ़ाई जा सकती है ।

44. प्रश्न : क्या वार्षिक स्टेटमेंट का कोई फार्म है ?

उ० : हॉ : फार्म-XXXI

45. प्रश्न : जिन संस्थाओं के पास TIN है क्या उन्हें भी TDS नम्बर लेना होगा ?

उ० : नहीं ।
